तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं एवं अन्य प्रतिवादी संख्या 1 व 02 सगे भाई है जो स्व. उगरराम की जाईन्दा संताने है जिनका एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार है। जो हिन्दू विधि से शासित होते है तथा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा जाटावास तह0 शिव के खसरा नम्बर 514 रकबा 107.04 बीघा किस्म बा.सो. का आया हुआ है। यह खातेदारी जोत वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 02 उनके पिता उगराराम के फौत के बाद विरासत में प्राप्त है। राजस्व रेकर्ड मे फौतगी नामान्तकरण की कार्यवाई करते समय वादी के नाबालिग होने के कारण उसके रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश वादी का घरेलू नाम पूनमाराम अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम मोटाराम उर्फ पूनमाराम पुत्र उगराराम है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम मोटाराम उर्फ पूनमाराम दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी राज पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। हमने तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है जिसमें हल्का पटवारी भू– अभिलेख निरिक्षक एवं तहसीलदार शिव ने वादी का नाम पूनमाराम के स्थान पर मोटाराम उर्फ पूनमारा पुत्र उगराराम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा वादी के सगे भाईयो ने अपना इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर पूनमाराम के स्थान पर मोटाराम उर्फ पूनमाराम दुरूस्त करने में सहमति जाहिर की है वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, फौतेदगी नामान्तरकण, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आर्मी पहचान कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम मोटाराम उर्फ पूनमाराम ही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 107.04 बीघा मौजा जाटावास, पटवार मण्डल उण्डू, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पूनमाराम के स्थान पर मोटाराम उर्फ पूनमाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर	

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– मोटाराम उर्फ पूनमाराम पुत्र उगराराम जाति– जाट, नि0 जाटावास, तह0 शिव, हाल निवासी गली नम्बर 3 गांधीनगर तह0 व जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी :– 1. मोटाराम पुत्र उगराराम, 2. रामूराम पुत्र उगराराम, जाति–जाट, नि0 जाटावास, नि0शिव, 3. शाखा व्यवस्थापक पंजाब नेशनल बैंक उण्डू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. राज पैराकार उप0।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 107.04 बीघा मौजा जाटावास, पटवार मण्डल उण्डू, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पूनमाराम के स्थान पर मोटाराम उर्फ पूनमाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:54:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: